



2026:AHC:31182

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2114/2026

नवीन चौधरी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: राजेश मिश्रा, विजय त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय त्रिपाठी और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक कुमार को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह पुलिस विभाग से सशस्त्र पुलिस में अपना स्थानांतरण चाहता है।
3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय द्वितीय प्रत्यर्थी, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय में दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता 27.02.2026 तक, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, द्वितीय प्रत्यर्थी—पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश (लखनऊ)—के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, द्वितीय प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता के दावे पर दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

12 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"